न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बामनवास
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– प्रियंका कंड़ेला, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18 / 2023	31.3.2023	13-3-2026

1. मदनलाल पुत्र नानगराम, ब्राह्मण निवासी भांवरा तहसील बामनवास
2. गिरधारी पुत्र रामजीलाल, ब्राह्मण निवासी भांवरा तहसील बामनवास
3. रविशंकर पुत्र रामजीलाल, ब्राह्मण निवासी भांवरा तहसील बामनवास
4. विष्णुकान्त पुत्र रामजीलाल, ब्राह्मण निवासी भांवरा तहसील बामनवास
5. सुधाकर पुत्र मदनलाल, ब्राह्मण निवासी भांवरा तहसील बामनवास
6. मायादेवी पत्नि कृष्णकान्त, ब्राह्मण निवासी भांवरा तहसील बामनवास

———प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र सोन्या, बैरवा निवासी भांवरा तहसील बामनवास
2. इन्द्र पुत्र सोन्या, बैरवा निवासी भांवरा तहसील बामनवास
3. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार बामनवास ———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री योगेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री बी0एल0बंजारा, एडवोकेट, अप्रार्थी सं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण मदनलाल वगैरा ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि साबिक ख0नं0 46 रकबा 7 बीघा 9 विस्वा, 71 रकबा 9 बीघा 11 विस्वा, 81 रकबा 18 बीघा 13 विस्वा ग्राम भांवरा में स्थित रही है जिसमें से साबिक ख0नं0 71 रकबा 9 बीघा 11 विस्वा, 81 रकबा 18 बीघा 13 विस्वा प्रार्थीगण के पूर्वज नानगा पुत्र रामनाथ व साबिक ख0नं0 46 रकबा 7 बीघा 9 विस्वा प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के पूर्वजों की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। इसी प्रकार भूमि साबिक ख0नं0 91 रकबा 15 बीघा स्थित ग्राम भांवरा अप्रार्थीगण के पूर्वज सोन्या व रामफूल की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। भू–प्रबन्ध में भूमि साबिक ख0नं0 46 से हाल ख0नं0 172/1038 रकबा 0.58 है0, 216 रकबा 0.40 है0, 217 रकबा 0.53 है0, साबिक ख0[illegible] हाल ख0नं0 296 रकबा 0.26 है0, 297 रकबा 0.07 है0, 298 रकबा 0.1[illegible], 309 रकबा 0.43 है0, 310 रकबा 0.30 है0, 311 रकबा 0.32 है0, 3[illegible] रकबा 0.30 है0, 313 रकबा 0.24 है0, 314 रकबा 0.09 है0, साबिक ख0नं0 [illegible] से हाल ख0नं0 180 रकबा 1.67 है0, 181 रकबा 0.97 है0, 183 रकबा 0.29 है0, 184 रकबा 0.41 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

उप [illegible] कलक्टर
बामनवास (सवाई माधोपुर)

Scanned with CamScanner

185 रकबा 0.28 है0 तथा साबिक ख0नं0 91 से हाल ख0नं0 203 रकबा 0.37 है0, 204 रकबा 1.00 है0, 205 रकबा 0.29 है0, 206 रकबा 0.23 है0, 207 रकबा 0.49 है0, 208 रकबा 0.19 है0, 209 रकबा 0.19 है0, 210 रकबा 0.07 है0, 211 रकबा 0.35 है0, 212 रकबा 0.31 है0, 213 रकबा 0.26 है0, 214 रकबा 0.60 है0, 215 रकबा 0.60 है0 बना है। भूमि साबिक ख0नं0 91 के पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान की भूमि साबिक ख0नं0 81 व 46 के मध्य से हाकर अन्य खेतों पर जाने के लिए सार्वजनिक रास्ता रहा है तथा आज भी मौके पर चालू है तथा प्रार्थीगण व आमजन उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। भू–प्रबन्ध के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने साबिक ख0नं0 91 का हाल खसरा नम्बर बनाते समय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम अधिक रकबा दर्ज कर दिया तथा हाल ख0नं0 215 रकबा 0.60 है0 गै0मु0रास्ता तो दर्ज कर दिया किन्तु खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी जिसका भू–प्रबन्ध कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था। भू–प्रबन्ध कर्मचारियों को साबिक रिकार्ड व मौके की स्थिति के अनुसार ही हाल रिकार्ड तैयार करना चाहिए था। भू–प्रबन्ध विभाग की यह कार्यवाही बोइड, इल्लीगल व विदाउट ज्यूरीडिक्शन है। भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा की गई गल्तियों का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 छोटी मोटी बातों पर ही विवाद करते रहते हैं तथा रास्ते को बन्द कर अपनी भूमि में मिलाने की धमकी देते रहते हैं। सरकारी रिकार्ड में उक्त रास्ते की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण को काफी असुविधा व परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार बामनवास से मिलकर वर्तमान रिकार्ड के हिसाब से नाप कर उक्त रास्ते को बन्द कर अपनी भूमि में मिलाने को उतारू है जो गलत है। रास्ते की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में गलत दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण ने रास्ता ख0नं0 215 गै0मु0रास्ता की भूमि में होकर न आने जाने व उक्त रास्ते को बन्द कर अपनी भूमि में मिलाने की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 27.11.2022 को धमकी दी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] इस अमर से पाबंद किया जावे कि वे भूमि साबिक [illegible] 79 [illegible]0, 81 व 46 से बने हाल ख0नं0 215 रकबा 0.60 है0 सम्पूर्ण हिस्सा [illegible] सार्वजनिक रास्ता की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की बाधा या मजाहमत ना तो स्वयं पैदा करें ना ही किसी अन्य से करावें, [illegible]किसी प्रकार की नाप तोल न करें, रहन, वय, हस्तान्तरण न करें न करावें।

उप [illegible] कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाव मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। इसमें अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि साबिक ख0नं0 91 रकबा 15 बीघा की खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पूर्वज सोन्या व उसके भाई रामफूल के नाम हिस्सा 1/2, 1/2 दर्ज रही जिसमें रामफूल ने भू–प्रबन्ध के बाद अपना 1/2 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सोन्या को विक्रय कर दिया। वर्तमान में भूमि ख0नं0 203, 205 लगायत 215 की खातेदारी जबाबदारान के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने ख0नं0 204 रकबा 1.08 है0 साबिक ख0नं0 91 से बनना दर्ज किया है यह खसरा नम्बर साबिक ख0नं0 91 से न बनकर साबिक ख0नं0 88 मिन से बना है। प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में वर्णित सम्पूर्ण नम्बर पुराने खसरा नम्बर है तथा इन साबिक खसरा नम्बर व जबाबदारान के साबिक खसरा नम्बर 91 के साबिक नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर के आसपास कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा न वर्तमान में मौके पर कोई रास्ता है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को गलत रूप से गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया है जिसकी दुरूस्ती हेतु पृथक से कार्यवाही अप्रार्थीगण द्वारा की जावेगी। प्रार्थीगण को दावा व टी0आई0 प्रा0 पत्र लाने हेतु कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि कभी रास्ते की भूमि नहीं रही है, भूमि की किस्म भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से रास्ते के रूप में दर्ज कर दी गई है। इसमें होकर कभी प्रार्थीगण की आमद रफत नहीं रही है। जबाब के विशेष विवरण एवं काउन्टर टी0आई0 में अप्रार्थीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थीगण गलत रूप से जबाबदारान की भूमि को हडपने तथा उसे खुर्द–बुर्द करने की नियत से यह दावा व टी0आई0 प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर लेकर आए हैं। अतः जबाब मय काउन्टर टी0आई0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे एवं प्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे अप्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 215 रकबा 0.60 है0 ग्राम भांवरा के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावें। अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त भूमि से किसी भी रूप में न तो स्वयं बेदखल करें न किसी अन्य से करावें।

उप [illegible] कलक्टर
बामनवास (गंगापुर सिटी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2021 से 2024, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल वर्तमान जमाबंदी, नकल साबिक व हाल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की हैं।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व काउन्टर क्लेम के समर्थन में अप्रार्थीगण ने नकल साबिक व हाल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस साबिक प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि भूमि साबिक ख0नं0 91 के पश्चिमी दिशा की ओर प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान की भूमि साबिक ख0नं0 92, 71, 79, 80 से पूर्व दिशा की ओर तथा साबिक ख0नं0 81 व 46 के मध्य से होकर अन्य खेतों पर जाने के लिए सार्वजनिक रास्ता रहा है जो मौके पर आज भी चालू है तथा प्रार्थीगण व अन्य आमजन इसे उपयोग उपभोग में लेते आ रहे हैं। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा साबिक ख0नं0 91 के वर्तमान नम्बर जो बनाए हैं उनमें अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम अधिक रकबा दर्ज कर दिया है। इनमें ख0नं0 215 किस्म गै0मु0रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज किया है जबकि यह रास्ते की भूमि है जिसे प्रार्थीगण आज भी रास्ते के रूप में उपयोग में लेते आ रहे हैं। ख0नं0 215 किस्म गै0मु0रास्ता की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में गलत रूप से दर्ज कर दिए जाने के कारण अप्रार्थीगण इस रास्ते को बन्द कर इस पर कब्जा करने पर उतारू है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे ख0नं0 215 गै0मु0रास्ता की भूमि पर कब्जा नहीं करें व सार्वजनिक रास्ता की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाव के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि साबिक ख0नं0 91 रकबा 15 बीघा अप्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की भूमि रही है जिसके भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान ख0नं0 203, 205 से 215 कायम किए गए हैं जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है एवं इन नम्बरों पर अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त हैं। साबिक ख0नं0 91 के नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि इस नम्बर में होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। ख0नं0 215 को [illegible] द्वारा गै0मु0रास्ता के रूप में दर्शाया गया है जो गलत है एवं [illegible] इसकी दुरूस्ती के लिए पृथक से कार्यवाही करेंगे [illegible] ख0नं0 [illegible] की किस्म गै0मु0रास्ता गलत दर्ज की गई है एवं मौके पर इसमें [illegible] रास्ता नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ख0नं0 215 की किस्म गलत रूप [illegible]0मु0रास्ता दर्ज कर दिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

उप [illegible] कलक्टर
बामनवास(गंगापुर सिटी)

Scanned with CamScanner

जाने के कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को परेशान करने की दृष्टि से यह दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किए जाने योग्य है एवं प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे अप्रार्थीगण को ख0नं0 215 रकबा 0.60 है0 के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस बिन्दु पर विवेचन नहीं किया जाना है कि वर्तमान ख0नं0 215 भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गै0मु0रास्ते के रूप में अप्रार्थीगण की खातेदारी में सही रूप से दर्ज किया गया है अथवा गलत रूप से दर्ज किया गया है तथा इस खसरा नम्बर की किस्म गै0मु0रास्ता गलत दर्ज की गई है। इस बिन्दु का निर्धारण मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य–सबूत के आधार पर होना है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्तमान अभिलेख के आधार पर यह देखना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है। यह निर्विवाद तथ्य है कि हाल ख0नं0 215 वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है एवं साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार साबिक ख0नं0 91 में कोई रास्ता दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में वर्तमान अभिलेख के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा इसी अनुसार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है । इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 13·3·2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रियंका कंड़ेला)
उप जिला कलक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 13:36:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner